



मुकदमा नम्बर 42 / 2025
अनवान:- गणेशा बनाम मदरूपा।
निर्णय तारीख 20.08.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42 / 2025

जीसीएमएस नम्बर 2025 / 101

अनवान

01- मृतवफी खेता पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- गणेशा पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- चमना पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

02- मृतवफी वेला पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- केसा पुत्र वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- जेता पुत्र वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

स- सदू बैवा वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव तहसील सांचौर जिला जालोर

वादीगण.....

01- मृतवफी खेता पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- मृतक रूपा पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान

ए- मदरूपा पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

बी- शंकरलाल पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

श्री- हरजी पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

डी- गंगा पुत्री रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ई- तगु पुत्री रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

एफ- सीता बैवा रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

02- मृतवफी देवा पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- मृतक काछबा पुत्र देवा (फौत) के कायम मुकाम व वारिसारान

ए- बीजला पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

बी- पूनमा पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

सी- सोमाराम पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

डी- चतरा पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ई- सगता पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- मृतवफी वीरमा पुत्र देवा के कायम मुकाम व वारिसारान

ए- त्रिकमा पुत्र वीरमा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

बी- दाना पुत्र वीरमा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

स- पदमा पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

द- जोरा पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

य- नेथी पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

र- बालका पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

03- मृतवफी प्रागा पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान

अ- जैरूपा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- पीरा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

स- वरधा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

द- सवा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

य- अमरा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव तहसील सांचौर जिला जालोर

04- सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-


1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालौत, श्री चेतन पुरोहित, श्री सुरेश पुरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एकपक्षीय।

--:निर्णय:-

दिनांक:- 20.08.2025

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 29.07.2025 सरहद मौजा सियागांव पटवार हल्का पुर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 199 रकबा 2.1400 हैक्टर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/325 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भूअ./2025/3458 दिनांक 12.08.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।





सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)


क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गणेशा, चमना पिता खेता हिरसा 1/2, जेता, केसा पिता वेला, सदू पत्नी वेला हिस्सा 1/4 मदरुपा हरजी शंकर पिता रुपा, गंगा, तगु, पुत्रिया रुपा, सीता पत्नी रुपा हिस्सा 1/4 साकिन देह खातेदार	199	2.14	0.71	बारानी सोयम	हरा	1.065
2.	काछबा, जोरा, नेथी, पदमा, बालका, वीरमा पिता देवा हिस्सा 1/2, अमराराम, जेरुपाराम, पीराराम, वरधाराम, सवाराम पिता प्रागा हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार।	199	2.14	1.43	बारानी सोयम	केसरिया	2.145

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।


(प्रमाद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)



डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

01- मृतवफी खेता पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- गणेशा पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- चमना पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

02- मृतवफी वेला पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- केसा पुत्र वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ब- जेता पुत्र वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

स- सद्दू बैवा वेला जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव तहसील सांचौर जिला जालोर

वादीगण.....

01- मृतवफी खेता पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- मृतक रूपा पुत्र खेता जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान

ए- मद्रुपा पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

बी- शंकरलाल पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

शसी- हरजी पुत्र रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

डी- गंगा पुत्री रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ई- तगु पुत्री रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

एफ- सीता बैवा रूपा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

02- मृतवफी देवा पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान:-

अ- मृतक काछबा पुत्र देवा (फौत) के कायम मुकाम व वारिसारान

ए- बीजला पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

बी- पूनमा पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

सी- सोमाराम पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

डी- चतरा पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

ई- सगता पुत्र काछबा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

व- मृतवफी वीरमा पुत्र देवा के कायम मुकाम व वारिसारान

त्रिकमा पुत्र वीरमा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव

दाना पुत्र वीरमा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव



Pr
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

- स- पदमा पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 द- जोरा पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 य- नेथी पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 र- बालका पुत्र देवा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 03- मृतवफी प्रागा पुत्र अर्जुनाराम जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव के कायम मुकाम व वारिसारान
 अ- जैरुपा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 ब- पीरा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 स- वरधा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 द- सवा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव
 1- अमरा पुत्र प्रागा जाति रेबारी निवासी पुर व सियागांव तहसील सांचोर जिला जालोर
 04- सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर

प्रतिवादीगण.....

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42/2025

1. यह मुकदमा आज इनफिसाल कर्त्तई रुबरु पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालौत, श्री चेतन पुरोहित, श्री सुरेश पुरोहित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	गणेशा, चमना पिता खेता हिस्सा 1/2, जेता, केसा पिता वेला, सदू पत्नी वेला हिस्सा 1/4 मदरुपा हरजी शंकर पिता रुपा, गंगा, तगु, पुत्रिया रुपा, सीता पत्नी रुपा हिस्सा 1/4 साकिन देह खातेदार	199	2.14	0.71	बारानी सोयम	हरा	1.065
2.	काछबा, जोरा, नेथी, पदमा, बालका, वीरमा पिता देवा हिस्सा 1/2, अमराराम, जेरुपाराम, पीराराम, वरधाराम, सवाराम पिता प्रागा हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार।	199	2.14	1.43	बारानी सोयम	केसरिया	2.145




उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार

सहायक जिला मजिस्ट्रेट सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) 6

मुकदमा नम्बर 42 / 2025
अनवान:- गणेशा बनाम मरुपा।
निर्णय तारीख 20.08.2025

सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20.08.2025 को जारी की गई


(प. म. ड. कुमार) सांचौर
(सहायक कलेक्टर सांचौर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	0	00




(सहायक कलेक्टर, सांचौर)
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)